"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई, दिनांक 30–05–2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 559] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2013—पौष 3, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 (पौष 3, शक 1935)

अधिसूचना

क्रमांक -11954/वि. स./विधान/2013.— राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, शेखर दत्त, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 6 जनवरी, 2014 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूं.

स्थान : रायपुर
दिनांक : 24 दिसम्बर, 2013

शेखर दत्त
राज्यपाल, छत्तीसगढ़".

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.